नारी शक्ति वंदन अधिनियमः एक एतिहासिक एंव समावेशी पहल

मेजर प्रो. पंकज छाबड़ा, प्राचार्या, मुन्नालाल एंव जयनारायण खेमका गर्ल्स कालेज, सहारनपुर

भारत में क्षमतावान एंव योग्य महिलाओं की कमी नहीं है। महिलाओं को भारत की संसदीय व्यवस्था में सहभागिता देने में कमी रही तो हमारे कानून बनाने वाली संस्थाओं लोकसभा एंव विधानसमाओं की रही। संविधान सभा में कुछ सदस्यों द्वारा विधानसभा में महिला आरशण का खुलकर विरोध करते देखा गया है(1)। जबकि भारत और यहां के समाज की यह पहले से मान्यता रही है कि यहां हमेशा पहले से ही माना जाता है कि "यत्र नारीयन्ते पूज्यते, रमन्ते तत्र देवता" अर्थात् जहां नारी की पूजा होती है वहां देवताओं का वास होता है। महिलाओं को सम्मान एंव प्राथमिकता देना लोकसभा एंव विधानसमाओं का भी दायित्व है।

भारतीय लोकतन्त्र विश्व में इस मायने में सर्वश्रेष्ठ है कि हमारे यहॉ महिलाओं को स्वतन्त्रता एंव संविधान लागू होने के साथ ही मताधिकार प्रदान किया गया था। महत्वपूर्ण यह है कि स्वतन्त्रता आन्दोलन में महात्मा गांधी के राष्टीय पटल पर सकिय होने से पहले महिलाओं की भागीदारी उंगलियों पर गिनी जाने लायक थी लेकिन गांधी जी के मुख्य भूमिका में आने के बाद भारी संख्या में राष्टीय आन्दोलन में भागीदारी हुई। पुरूष आन्दोलनकारियों के साथ–साथ महिलांए भी जेलों में गई। इसका असर हमारे संविधान निर्माताओं पर भी पड़ा और गांधी जी के आग्रह पर प्रधानमन्त्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा सबसे पहले और सबसे छोटे 14 सदस्यीय मन्त्रिमंडल में राजकुमारी अमृत कौर को स्वास्थय मन्त्री के रूप में शामिल किया गया।

प्रधानमन्त्री राजीव गांधी के समय में संविधान संशोधन कर स्थानीय निकायों और पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण दिया गया। पुरूष प्रधान देश माना जाने के कारण तब हमारे कुलीन वर्ग ने बहुत आंख और भौं सिकोड़ी। लोकसभा एंव विधानसभाओं में जितना प्रतिनिधित्व होना चाहिए उससे सदन आज तक भी वंचित रहा। पुरूषवादी वर्चस्ववादी मानसिकता के कारण समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले हमारे राजनैतिक दल यदि तरह–तरह के अंड़गेबाजी नहीं लगाये होते तो महिला आरक्षण बिल अभी तक पास हो गया होता। बड़ी अंड़गेबाजी महिला आरक्षण में जातिय आरक्षण को लेकर खड़ी की गई। जातिवादी एंव महिला आरक्षण विरोधी दलों के नेता संसद में इस बिल का यह कहकर विरोध करते रहे कि महिला आरक्षण में पिछड़े वर्ग की महिला को अलग से आरक्षण दिया जाय।

लेकिन अब चार दशकों बाद हम उसके अच्छे सामाजिक नतीजे अपने सामने देखते हैं। अब एक दूर दृष्टा एंव यशस्वी प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इस कानून को बनाने वाले महत्वपूर्ण सदनों लोकसभा एंव विधानसभा में महिलाओं की कमी को बड़ी शिद्दत के साथ महसूस किया। पिछड़े वर्ग की महिलाओं को लेकर चल रही अटकलों पर जो इच्छा शक्ति प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी जी ने दिखाई वह काबिले तरीफ है और महिलाओं को लेकर उनकी स्पष्ट नीति का द्योतक है। प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति और महिलाओं की लोकसभा एंव विधानसभाओं में भागेदारी बढ़ाने के लिए सभी बाधाओं और गतिरोध को दूर करते हुए और राजनैतिक दलों से सर्वसम्मति बनाते हुए 20 सितम्बर वर्ष 2023 में 128th संविधान संशोधन बिल 2023 के लोकसभा में सर्वसम्मति से पास होने एंव राज्यसभा में 21 सितम्बर 2023 को सर्वसम्मति से पास होने के पश्चात 106th संशोधन एक्ट 2023 के द्वारा कानून बना। महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का कानून राष्टपति की मंजूरी के बाद पारित करा दिया। इस कानून का नाम नारी शक्ति वंदन अधिनियम रखा गया जो भारत में महिलाओं का राजनैतिक प्रतिनिधित्व बढ़ाने के उद्देश्य से निम्न प्रावधानों के साथ लाया गया है।

1. लोकसभा, राज्य विधानसभाओं राष्ट की राजधानी दिल्ली में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित होगीं।
2. यह राज्य सभा एंव राज्य विधान परिषद के लिए लागू नहीं है।
3. अनुसूचित जाति एंव अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों में भी 33 प्रतिशत हिस्सा महिलाओं के लिए होगा। यह आरक्षण 15 वर्षों के लिए प्रस्तावित है।
4. आरक्षित सीटें हर चुनाव में बदलती रहेंगी।
5. पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए लागू नहीं होगा।
6. यह कानून जनगणना और परिसीमन के बाद ही लागू होगा।
7. 2029 अथवा इसके बाद होने वाले लोकसभा एंव विधानसभा के चुनावों में इसके लागू होने की संभावना है।

इन प्रवधानों पर यदि नजर डालें तो पता चलता है कि अनुसूचित जाति एंव जनजाति की महिलाओं को आरक्षण मिलेगा लेकिन यह फार्मूला पिछड़े वर्ग की महिलाओं पर लागू नहीं होगा। यह जानना भी महत्वपूर्ण है कि महिलाओं पर यह आरक्षण राज्यसभा एंव विधान परिषदों पर भी लागू नहीं होगा। यह केवल लोकसभा एंव विधानसभाओं के लिए ही है। यह भी महत्वपूर्ण है कि केन्द्र सरकार 33 प्रतिशत आरक्षण के कारण लोकसभा एंव विधानसभाओं की वर्तमान सीटों में 33 प्रतिशत वृद्धि करने जा रही है। इससे वर्तमान में इन सदनों में पुरूषों की जो भागीदारी है वह महिला आरक्षण से प्रभावित नहीं होगी। प्रथम लोकसभा चुनाव में महिला सदस्य (MP) 5 प्रतिशत थी। लोकसभा चुनाव में 2024 में 74 महिलांए चुनी गई थी। यह लोक सभा की सीटों 543 का 13.6 प्रतिशत है। 2019 में लोकसमा चुनाव में 14.4 प्रतिशत महिलांए चुनी गई थी। विधानसभाओं में भी स्थिति काफी खस्ताहाल है। पूरे भारत की विधानसमाओं में 2025 में 9 प्रतिशत महिला विधायक थी। कुल मिलाकर लोकसभा एंव विधानसभाओं में 10 प्रतिशत महिलांए हैं। यह हमारे लोकसभा सदस्यों और विधायकों की कुल संख्या 4, 666 की 10 प्रतिशत अर्थात 464 महिलाएं लोकसभा सदस्य और विधायकों का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। 2015 में भारत में महिलाओं के स्तर पर प्रकाशित रिपोर्ट में भी कहा गया कि विधानसभा एंव लोकसभा में महिलाओं की संख्या में कमी आ रही है (2)।

वर्तमान में भारतवर्ष एक सम्प्रभुता सम्पन्न देश है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 16 सभी नागरिको को समान अवसरों का अधिकार देता है। 73वें एंव 74वें संविधान संशोधन 1993 जिसमें महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण पंचायती राज संस्थाओं एंव निकायों में दिया गया था(3) (4)। यह व्यवस्था विश्व के किसी भी लोकतान्त्रिक देश में नहीं है। आज भारत में स्थानीय निकाओं में जो 31 लाख चुने हुए प्रतिनिधि है जिनमें 14.5 लाख अर्थात 46 प्रतिशत महिलांए है, विश्व में यह स्थिति कहीं भी नहीं है। 2003 की अध्ययन रिपोर्ट बताती है कि पंचायतों में महिला आरक्षण के परिणाम काफी साकारात्मक है(5)। अनुसूचित जाति एंव अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों में भी 33 प्रतिशत हिस्सा भी महिलाओं को प्राप्त है(6) (7)। भारत का संविधान सेवाओं के अवसरों में लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करता है। यही कारण है कि महिला अपने भविष्य को प्रगति के पथ पर अग्रसर करने की महत्वाकांक्षा के चलते अवसर की तलाश करती है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में शिक्षा, सेवा, व्यापार के क्षेत्रों में नारी को समान अवसर प्राप्त है।

राजनीति के क्षेत्र में यह पहली बार हुआ है कि महिलाओं की राजनैतिक सहभागिता एंव निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से वर्तमान भारत सरकार द्वारा संविधान के 106th संशोधन एक्ट 2023 के द्वारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाया गया। महिलाओं का राजनैतिक प्रतिनिधित्व बढ़ाये जाने से उनके आत्मबल एंव आत्मविश्वास में वृद्धि करने की मंशा के तहत इस कानून की अति आवश्यकता थी। इसके अन्तर्गत महिलांए राजनैतिक पदों में भी समान अवसर प्राप्त कर सकेंगी। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सरकार ने लोकसभा एंव विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षित करने की जो पहल की है वह

अभूतपूर्व और स्वागत योग्य है और यह भारतीय महिलाओं की असली ताकत को भी दर्शाता है। इससे भारत का लोकतन्त्र निश्चित ही पहले पायदान पर खड़ा है।

भारत सरकार के इस ऐतिहासिक कदम से महिलाओं में उत्साह है। यह लिंग समानता का ऐतिहासिक कदम है। इस सवैंधानिक कदम से बढ़ने वाली सामाजिक जीवन में सहभागिता से महिलांए आत्मविश्वास से ओतप्रोत है। राजनीति में महिलांए भी बराबर की साझेदारी करने से भारत के विकास की गति में और अधिक तेजी आयेगी, इस संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। भारत सरकार द्वारा नारी शक्ति को अपने ऐजेन्डा में सर्वोपरि रखा गया जो सराहनीय कदम है। महिलाओं के सामाजिक विकास में आ रही विभिन्न प्रकार की बाधाओं को महिलांए स्वयं ही आसानी से दूर करने की क्षमता रख सकेंगी। यह कदम महिलाओं की आर्थिकता को भी बढ़ावा देगा। सभी महिलांए इसके लिए प्रधानमन्त्री एंव संसद का धन्यवाद ज्ञापित करती हैं। इस अधिनियम के प्रभाव से महिलांए सकिय नेतृत्व कर सकेंगी और भारत के विकास के लिए जा रहे निर्णयों एंव नीति निर्धारण कार्यों में रूचि एंव सहमागिता कर सकेगीं।

इससे पूर्व भी इसी सरकार द्वारा मिशन शक्ति के नाम पर दर्जनों स्कीमें जारी कर कियान्वन किया गया है। सभी स्कीमें भारत सरकार द्वारा पिछले 10 वर्षों में चलाई गयी है। इन स्कीमों में प्रमुख हैं–मातृत्व अवकाश को 12 सप्ताहों के स्थान पर 26 सप्ताह किया जाना, 4.73 करोड़ प्रधानमन्त्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, 3.2 करोड़ सुकन्या समृद्धि योजना खाते, 10 करोड़ एलपीजी सिलिन्डर, प्रधानमन्त्री ग्रामीण आवास योजना, मातृत्व मृत्यु दर को कम करना,मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक से मुक्ति दिलाना, 12 सशस्त्र सेनाओं में महिलाओं को स्थायी कमीशन दिलाना,तीनों सेनाओं में महिलाओं के लिए अग्निवीर का प्रवेश, भारत में 43 प्रतिशत स्टेम ग्रेजुयेट्स में महिलाओं का 43 प्रतिशत होना, प्रधानमन्त्री मुद्रा योजना में 69 प्रतिश्त लोन महिला उद्यमियों को देना, स्टेंड इड़िया में 84 प्रतिश्त महिला लामार्थी होना आदि सभी स्कीमें महिलाओं की सुरक्षा, आत्मसम्मान एंव आर्थिक विकास से जुड़ी है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिलाओं के प्रतिनिधित्व के द्वारा भारत के विकास की यात्रा है जो 10 वर्षों में भारत सरकार की महिलाओं के लिए किये गये विकास कार्यों में सबसे बडी उपलब्धि है।

विगत सरकारों द्वारा लोकसभा एंव विधानसभाओं में 1996,1998,1999 एंव 2008 में भी महिलाओं के आरक्षण पर संशोधन विधेयक लाए गये जो लोकसभा भंग होने के कारण कियान्वन न हो सके (8)। अतः वर्तमान सरकार साधुवाद की पात्र है जिसने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को कियान्वन कर दिखाया। इसमें नारी शक्ति का अर्थ महिला सशक्तिकरण से लिया गया है। इस कानून को पारित कराने में 2008 के बिल की भी सहायता ली गई है (9)।

महिला समाज का महत्वपूर्ण अंग है। महिलाओं के देश के विकास सम्बन्धी विचारों एंव भावों का परिप्रेक्ष्य भी भारत के विकास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आज भारत की नारी शिक्षित है। वह देश के विकास में सतत, महत्वपूर्ण एंव न्यायसंगत भूमिका अदा कर सकतीयह ऐतिहासिक कदम भारत का समावेशी विकास करने में सहायक होगा। साथ ही लिंग–भेद का भाव दूर होने में सहायक सिद्ध होगा। मैं व्यक्तिगत रूप से भारत सरकार का नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाने के लिए विशेष धन्यवाद करती हूँ।

संदर्भ–

1. संविधान सभा की कार्यवाही, 18 जुलाई 1947 खंड संख्या 4
2. Executive summary, Report of Status of women in India, Ministry for Women and child Development
3. अनुच्छेद 243डी (3), भारतीय संविधान
4. अनुच्छेद 243टी(3), भारतीय संविधान

5. Impact of Reservation in the Panchayati Raj: Evidence from a Nationwide Randomized Experiment. Raghabendra Chattopadhyay and Esther Duflo,Nov 2003
6. अनुच्छेद 330, भारतीय संविधान
7. अनुच्छेद 330, भारतीय संविधान
8. Reservation of seats for women in legislative bodies: Perspective' Rajya Sabha Secretariat 'July 2008